(ग) और (घ) चीनी फैक्ट्रियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर वर्ष 1995, 1994 तथा 1993 के दिनांक 30 अक्तूबर तक 1994-95, 1993-94 तथा 1992-93 मौसम से संबंधित गन्ना मूल्य का बकाया क्रमशः 185.09 करोड़ रुपये, 61.93 करोड़ रुपये तथा 76.98 करोड़ रुपये था।

(ङ) और (च) गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 की धारा 3(3 ए) में गन्ने की आपूर्ति के भुगतान में 14 दिनों से अधिक का विलम्ब होने पर चीनी फैक्ट्री पर 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देयता का प्रावधान है। कृषकों के गन्ना मूल्य बकाया के भुगतान को लागू करवाने के लिए राज्य सरकार की संविधि एवं वैधानिक नियमों में प्रावधान है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम 1953 की धारा 17 की उप-धारा 5 में वे प्रावधान दिए गए हैं जो कृषकों को गन्ने के बकाया के भुगतान के उद्देश्य के लिए अलग से चीनी मिलों द्वारा उत्पादित या किये जाने वाले उत्पादन की सिक्योरिटी पर बैंक द्वारा दिये गये अग्रिम की प्रतिशतता को जोड़े जाने में समर्थ बनाता है। दोषी चीनी मिलों से कलेक्टर द्वारा गन्ना आयुक्त द्वारा जारी वसूली प्रमाण-पत्रों के आधार पर, गन्ना मूल्य बकाया की वसूली भू-राजस्व की ही तरह प्रभावी ढंग से करने का प्रावधान उक्त अधिनियम की धारा 17 में निहित है।

Decision to Open up Indo-Pak Trade

152. SHRI N. GIRI PRASAD:
SHRI GURUDAS DAS GUPTA:
SHRI VIRENDRA KATARIA:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Pakistan has decided to open up trade with India;

(b) if so, the details thereof and reaction of Government thereto; and

(c) the details of the total trade between India and Pakistan during the last three years, year-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI BOLLA BULLI RAMAIAH): (a) and (b) Government have not received any formal communication from Pakistan on its opening up of trade with India.

(c) Details of total trade between India and Pakistan during the last three years are indicated below:

(Value in Rs. crores)

Year	Export to Pakistan	Import from Pakistan	Total Trade
1993-94	200.96	136.65	337.61
1994-95	179.71	165.61	345.32
1995-96	256.80	150.80	407.60

(Source: DGCI&S)

राष्ट्रीय मजदूरी नीति

153. **श्री नागमणि:** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में श्रमिकों के कल्याण और लाभ के लिए एक राष्ट्रीय मजदूरी नीति बनाने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) सरकार के समक्ष एक राष्ट्रीय मजदूरी नीति बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संगठित क्षेत्र में मजदूरी का निर्धारण सौदेकारिता और समझौते के माध्यम से किया जाता है। जहां आवश्यक होता है, सरकार कतिपय क्षेत्रों में मजदूरी के निर्धारण और संशोधन के लिए मजदूरी बोर्डों का भी गठन करती है। असंगठित क्षेत्रों में, मजदूरी का निर्धारण न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन किया जाता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन, राज्य और केन्द्रीय सरकार दोनों अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में आने वाले अनुसूचित रोजगारों में मजदूरी की न्यूनतम दरों का निर्धारण करने/उनमें संशोधन करने के लिए समुचित सरकारें हैं। अधिनियम में मजदूरी की न्यूनतम दरों का आवधिक संशोधन करने की व्यवस्था की गई है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना आपूर्ति बांड प्रक्रिया (सुगरकेन सप्लाई बांड प्रासीजर) में ढीलढाल

154. **श्री सोमपाल:** क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: